2.1

वन भूमि का औचित्य

परियोजना का नाम :— **जनपद अल्मोड़ा के घुघती—कैलानी से मसमोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।(लम्बाई 6.50किमी.)(1.044है0)**

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 245/III—2/06—07(प्रा.आ.)/2010 दिनांक 28.10.2005 के द्वारा 10.00 किमी. लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु हेतु ₹ 139.00 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। **यह मोटर मार्ग विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत पड़ता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामसभा सुरमोली, चैकपंतगांव, घुग्ती तथा कैलानी के जनता को सीधे लाभ मिलते हुए आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ भी मिलेगा।** यह मार्ग जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकरगांव—घुग्ती नाम से स्वीकृत है के साथ मिलान होने से जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय स्याल्दे के साथ—साथ रेल हैड रामनगर से सीधे यातायात से जुड़ने की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ—साथ पयर्टन को भी बढावा मिलेगा। इस हेतु सिविल सोयम भूमि 0.707है0 व वन पंचायत भूमि 0.837है0 इस प्रकार कुल 1.044है0 वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। चूँकि यह मार्ग आबादी भाग में नाप भूमि से गुजरता हुआ दूसरे ग्रामों को जोड़े जाने हेतु उस मध्य पड़ने वाली वन भूमि से मार्ग को ले जाना ही एकमात्र विकल्प है, जिस हेतु समरेखण के अन्तर्गत वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत